

कार्यालय तहसीलदार, रानीखेत।

संख्या 76 (मु0)/228 (वि0)/एम0जे0-जांच रिपोर्ट/2024-25 दिनांक 25 नवम्बर, 2024।

सेवा में,

**संयुक्त मजिस्ट्रेट,
रानीखेत।**

विषय—

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक —तिनगेर तक
मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक
निर्माण विभाग के प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या 19494/2016)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा के कार्यालय पत्राक संख्या 06/छब्बीस-एफ0सी0/2024-25/ दिनांक 22.10.2024 पर महोदय के पृष्ठांकन आदेश संख्या 113(मु0)/2023-24 दिनांक 13.11.2024, 228(वि0)/2024-25 दिनांक 20.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक —तिनगेर तक मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में जांच उपरान्त आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्नगत प्रकरण में प्राप्त निर्देशों के कम में राजस्व उप निरीक्षक कुवांली से जांच करायी गयी, प्राप्त जांच आख्यानुसार दिनांक 21.11.2024 को प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा, वन विभाग वन क्षेत्र सोमेश्वर व विकास खण्ड द्वाराहाट के अधिकारियों/कर्मचारियों व ग्रामवासियों, ग्राम प्रधान मुझोली के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि रौलाखरक को प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण के पास से जो अन्यत्र मार्ग का निर्माण किया गया था उस मोटर मार्ग का निर्माण अनटाइड फन्ड कार्य — मल्यालगांव मुख्य सड़क से रौलाखरक होते हुए प्राथमिक पाठशाला मुझोली तक स्वीकृत धनराशि 2.00 लाख रुपये कार्यदायी संस्था विकास खण्ड द्वाराहाट वर्ष 2021-22 व ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया था, वर्तमान में उक्त मोटर मार्ग स्लाइडिंग जोन होने से जगह-जगह पर क्षतिग्रस्त होना पाया गया व मोटर मार्ग में किसी प्रकार का यातायात चालू होना नहीं पाया गया न ही उक्त मोटर मार्ग पैदल उपयोग में लाया जा रहा है, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट मूल में संलग्न है।

अतः उक्तानुसार प्रस्तरवार आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न— यथोक्त।

भवदीय,


(रवि साह)
तहसीलदार, रानीखेत।

मद- अनराइड फण्ड
कार्य का नाम- मण्डालगांव मुख्य
सड़क से रौलाखट्टक होते हुए
प्रा. पा. मुहोरी तक मोटर मार्ग
स्वीकृत धनराशि १- २.०० लाख
कार्यदायी संस्था-
विकास खण्ड- द्वाराहाट
उत्तराखण्ड ।

2024

कार्यालय जिला अधिकारी अल्मोड़ा
संख्या...2112... दिनांक 03/12/24

विषय

संयुक्त मजिस्ट्रेट,
रानीखेत।

सेवा में

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा।

O.C.F.C.

102

File No.

Date

7C

02/01/25

30.11.24

संख्या 113 (मु0)/संयुक्त निरीक्षण/2024-25

दिनांक 29 नवम्बर, 2024

विषय

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक-तिनगौर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.925 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या 19494/2016)।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 06/छब्बीस-एफ0सी0/2024-25 दिनांक 22.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रौलाखरक तिनगौर तक मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में जांच उपरान्त आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त है।

प्राप्त निर्देशों के क्रम में तहसीलदार रानीखेत से जांच करायी गयी। तहसीलदार रानीखेत से प्राप्त जांच आख्यानुसार दिनांक 21.11.2024 को प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा, वन विभाग वन क्षेत्र सोमेश्वर व विकास खण्ड द्वाराहाट के अधिकारियों/कर्मचारियों व ग्रामवासियों, ग्राम प्रधान मुझोली के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि रौलाखरक को प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण के पास से जो अन्यत्र मार्ग का निर्माण किया गया था उस मोटर मार्ग का निर्माण अनटाइड फन्ड कार्य-मल्यालगांव मुख्य सड़क से रौलाखरक होते हुए प्राथमिक पाठशाला मुझोली तक स्वीकृत धनराशि 2.00 लाख रुपये कार्यदायी संस्था विकास खण्ड द्वाराहाट वर्ष 2021-22 वा ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया था, वर्तमान में उक्त मोटर मार्ग स्लाइडिंग जोन होने से जगह-जगह पर क्षतिग्रस्त होना पाया गया व मोटर मार्ग में किसी प्रकार का यातायात चालू होना नहीं पाया गया न ही उक्त मोटर मार्ग पैदल उपयोग में लाया जा रहा है, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट मूल में संलग्न है।

अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्न: यथोक्त।

भवदीय,

[Signature]

(राहुल आनन्द)

संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।

प्रतिलिपि श्रीमती रेनू देवी, ग्राम प्रधान मुझोली, तहसील रानीखेत को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
संख्या-06(1)/छब्बीस-FC/24-25 दिनांक 07-01-2024

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा, वन प्रभाग अल्मोड़ा।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा।
- 3- प्रभारी अधिकारी, सी0आर0ए0 अनुभाग, जि0का0 अल्मोड़ा।

कृपया प्रकरण में संयुक्त मजिस्ट्रेट, रानीखेत